रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252958 CG-DL-E-13032024-252958

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1208]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

No. 1208]

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ.1270(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा आवासीय स्कीम (समर्थ-राहत, घरौंदा – व्यस्कों के लिए, सामूहिक गृह और समर्थ सह घरौंदा स्कीम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में संपूर्ण देश में अपने रजिस्ट्रीकृत संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है:

और, इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय न्यास विभिन्न सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) प्रदान कर रहा है जैसे अनाथ या परित्यक्त, संकटग्रस्त परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के दिव्यांगजनों और निराश्रितों आदि सहित निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन कवर किए गए दिव्यांगजनों (जिसे इसमें

1815 GI/2024 (1)

इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दिया जाता है जो अठारह वर्ष से कम आयु के है और इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तार किया जाता है;

और जबिक, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्विलत है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, फायदा और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- 1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक बालक को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;
- (2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमित के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु ऐसा बालक उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो और वह बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अपने विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु ऐसे बालक को आधार सौपें जाने तक, स्कीम के अधीन फायदे ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दिए जाएंगें:-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स कलेक्शंस के साथ), उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;
  - (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
  - (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-
    - (i) जन्म-प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; या
  - (ii) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम होते हैं; और
  - (ग) वर्तमान स्कीम मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-
  - (i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
  - (ii) राशन कार्ड; या

- (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या
- (iv) पेंशन कार्ड; या
- (v) सेना कैंटीन कार्ड; या
- (vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
- (vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

- 2. इस स्कीम के अनुसार हितग्राहियों को सुविधाजनक रूप से फायदा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
- 3. उन सभी दशाओं में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :-
  - (क) खराब अंगुली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से फायदा प्रदान करने के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;
  - (ख) यदि अंगुलीछाप या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहां भी साध्य और ग्राह्य हो, यथास्थिति, सीमित समय विधिमान्यताओं के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;
  - (ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया) क्यूआर (कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।
- 4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन फायदे से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के सबूत को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा के 1 उपपैरा (ख) के परंतुक के खंड (3) और खंड में (ग)यथाउल्लिखित अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे फायदा प्रदान किया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर फायदा दिया जाता है, वहां उसे अभिलिखित करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी पुनर्विलोकन और लेखा परीक्षा आविधक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी।
- 5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

### (Department of Empowerment of Persons with Disabilities (divyangjan)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th February, 2024

**S.O. 1270(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Residential Scheme (Samarth - Respite Care) and Samarth cum Gharaunda Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through its Registered Organisations across the country (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the National Trust is providing various services like respite home services for orphans or abandoned, families in crisis and for Divyangjan from Below Poverty Line and Lower Income Group families including destitute etc. (hereinafter referred to as the benefits) is given to persons with disabilities covered under the National Trust Act who are below the age of eighteen years (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the Scheme and extend guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- 1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided such child is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and that child shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
- as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, benefits under the Scheme shall be given to such child, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
  - (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-
  - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
  - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and
  - (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—
  - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
  - (ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

- (iv) Pension Card; or
- (v) Army Canteen Card; or
- (vi) any Government Family Entitlement Card; or
- (vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

- 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department, through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
  - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
  - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
  - (c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
- 4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry/Department through its Implementing Agency.
- 5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt Secy.